मा0 मुख्यमंत्री जी के आगमन के अवसर पर यातायत डायवर्जन प्लान–मऊ।

मा0 मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी जी के जनपद मऊ के थाना कोपागंज स्थित बापू आयुर्वेदिक संस्थान एवं हास्पिटल के प्रागंण में दिनांक 16.10.2019 को आगमन एवं भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद मऊ में यातायात की व्यवस्था को बनाये रखने एवं आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुये दिनांक 16.10.2019 प्रातः से भारी एवं हल्के वाहनों को निम्नानुसार डायवर्ट किया जायेगा–

भारी/हल्के वाहनों का डायवर्जन–

- गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी/हल्के वाहनों को जो वाराणसी को जाना चाहते हैं, उनको दोहरीघाट थाने द्वारा बैरियर लगाकर आजमगढ़ की तरफ डायवर्ट किया जायेगा।
- दोहरीघाट की तरफ से आने वाले भारी/हल्के वाहनों को जिनको गाजीपुर की तरफ जाना है को मझवारा मोड़ से डायवर्ट किया जायेगा और ऐसे वाहन मझवारा से इन्दारा, रसड़ा, कासिमाबाद होते हुये गाजीपुर को जायेंगे।
- घोसी के आगे से आने वाले भारी/हल्के वाहनों को जिनको वाराणसी एवं आजमगढ़ की तरफ जाना है, ऐसे वाहनों को सर्वोदय इण्टर कालेज तिराहा थाना घोसी से मुहम्मदाबाद होते हुये आजमगढ़ व वाराणसी को जायेंगे।
- घोसी की तरफ से आने वाले वाहनों को जिनको गाजीपुर की तरफ जाना है, ऐसे वाहनों को पिढवल मोड़ से मझवारा, इन्दारा, रसड़ा, कासिमाबाद होते हुये गाजीपुर को जायेंगे।
- वाराणसी की तरफ को जाने वाले हल्के वाहनों को पिढवल मोड़ से मुहम्मदाबाद आजमगढ़ होते हुये वाराणसी को डायवर्ट किया जायेगा।
- घोसी की तरफ से आने वाले वाहनों को जो गाजीपुर को जाना चाहते हैं ऐसे वाहनों को कसारा मोड़ थाना कोपागंज से डायवर्ट किया जायेगा और ऐसे वाहन कसारा, इन्दारा, रसड़ा कासिमाबाद होते हुये गाजीपुर को जायेंगे तथा हल्के वाहन जो मऊ नगर क्षेत्र जाना चाहते हैं वे इन्दारा, अदरी मोड़ होकर बलिया तिराहे से नगर क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, सभास्थल की तरफ किसी भी प्रकार का वाहन नही आने दिया जायेगा।
- घोसी की तरफ से आने वाले भारी/हल्के वाहनों को जिनको जिनको मुहम्मदाबाद आजमगढ़ की तरफ जाना है, ऐसे वाहनों को भातकोल मोड़ थाना कोपागंज से धवरियसाथ, मुहम्मदाबाद होते हुये आजमगढ़ की तरफ डायवर्ट किया जायेगा।
- आजमगढ़ की तरफ से आने वाले समस्त भारी/हल्के वाहन जो गोरखपुर की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे वाहनों को कलेण्डर तिराहा थाना मुहम्मदाबाद से घोसी की तरफ डायवर्ट किया जायेगा।
- आजमगढ़ की तरफ से आने वाले समस्त भारी/हल्के वाहन जो गाजीपुर व बलिया की तरफ जाना चाहते हैं ऐसे वाहनों को रोडवेज तिराहा थाना मुहम्मदाबाद से चिरैयाकोट बिरनों की तरफ डायवर्ट किया जायेगा जिससे वे गाजीपुर व बलिया को जा सकें।
- मुहम्मदाबाद की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को जो बलिया गोरखपुर की तरफ जाना चाहते हैं ऐसे वाहनों को मतलूपुर मोड़ बैरियर थाना दक्षिणटोला से रोक दिया जायेगा तथा हल्के वाहनों को मतलूपुर मोड़ से शहर के अन्दर से बलिया मोड़, रसड़ा होते हुये बलिया को भेजा जायेगा। मतलूपुर मोड़ से सहरोज मोड़ की तरफ तीनपहिया/चारपहिया वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- सहरोज मोड़ से कोपागंज की तरफ समस्त वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

- ❖ बलिया की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को जो आजमगढ़/गोरखपुर की तरफ जाना चाहते हैं ऐसे वाहनों को बलिया तिराहा पर बैरियर लगाकर पूर्ण रुप से रोक दिया जायेगा तथा हल्के वाहनों को जिनको आजमगढ़ की तरफ जाना है, ऐसे वाहनों को बलिया तिराहा से बन्धा रोड, मिर्जाहादीपुरा तिराहा, मतलूपुर मोड़ होते हुये आजमगढ़ की तरफ भेजा जायेगा।
- ❖ गाजीपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिनकों बलिया व गोरखपुर की तरफ जाना है, ऐसे वाहन को बढ़ुआगोदाम पुलिस बुथ पर बैरियर लगाकर थाना सरायलखन्सी द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाकर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। बाद कार्यक्रम समाप्ति वाहनों को अपने गन्तव्य के लिए छोड़ा जायेगा।
- ❖ गाजीपुर से आने वाले हल्के वाहनो को जिनको आजमगढ़ की तरफ जाना है, ऐसे वाहनों को बढ़ुआ पुलिस बुथ से बनदेवी चिरैयाकोट मार्ग पर डायवर्ट किया जायेगा।
- ❖ गाजीपुर से आने वाले हल्के वाहनों को जिनको गोरखपुर व बलिया की तरफ जाना है ऐसे वाहनों को बलिया तिराहा पर बैरियर लगाकर थाना कोतवाली नगर/यातायात शाखा द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाकर अदरी से गोरखपुर व पहसा हलधरपुर होते हुए बलिया डायवर्ट किया जायेगा।

<u>थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 07.09.19 को नाबालिग से दुष्कर्म मामले मे वांछित 25 हजार का इनामिया गिरफ्तार–</u>

मऊ। पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री शलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकुमार के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 15.10.19 को रेलवे स्टेशन मऊ के पास 25 हजार का इनामिया मु0अ0सं0 170/19 धारा 376 भदवि व 5/6 पोक्सो एक्ट में प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त नूर मुहम्मद पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम लछनौता थाना मटिअरिया जिला चम्पारन बेतिया बिहार को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त दिनांक 07.09,2019 को 06 वर्षीय नाबालिग से बलात्कार में मामले में सज्ञांन में आया था। जिसके सम्बन्ध मे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अभियुक्त पर रुपया 25000 का इनाम घोषित कर 05 टीमें गठित की गयी थी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. नूर मोहम्मद पुत्र इस्लाम निवासी लछनौता थाना मटिआरिया जिला पश्चिमि चम्पारन बेतिया बिहार।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम का विवरण–

प्रभरी निरीक्षक श्री निहार नन्दन कुमार, आ0 महेन्द्र यादव, आ0 आदेश कुमार निषाद (समस्त थाना दक्षिणटोला), आ0 अजब नरायण सिंह(डायल 100), आ0 सर्वेश वर्मा(थाना कोतवाली)।

उक्त टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000 का नगद इनाम देकर पुरष्कृत कर प्रशंसा की गयी।

09 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 15.10.2019 को थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा **वारंटी अभियुक्त** समसुद्दीन पुत्र बदरूद्दीन निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा चन्दन पुत्र नान्हु, कोमल पुत्र मगरू, राजेश पुत्र बैरागी, विजय पुत्र बालचन्द्र निवासीगण सरायख्वाजा, शैलेष पुत्र

नन्दु चौहान, परमेन्द्र चौहान पुत्र नन्दु चौहान निवासीगण वृन्दावन मझवारा थाना घोसी, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा शोभनाथ चौहान पुत्र जगदीश निवासी लाडनपुर, सुनील राजभर पुत्र स्व0 बाढ़ू राजभर निवासी कसारा थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 10 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 15.10.2019 को थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा सुनील कुमार पुत्र खखनु राम निवासी मनाजीत थाना चिरैयाकोट, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा अरबिन्द गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द गुप्ता निवासी हंसापुरा, अवधेश यादव पुत्र मानदेव यादव, रामकेश यादव पुत्र हरिनाथ यादव निवासीगण मुस्तफाबाद, उमाशंकर यादव पुत्र रामभवन यादव निवासी जहनियापुर थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा संग्राम पुत्र सुखराम निवासी सहादतपुर थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा विनय कुमार पुत्र बेचन प्रसाद निवासी पहाड़ीपुर खीरीया थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा चन्द्रदेव यादव पुत्र बनवारी निवासी करहा, मनोज पुत्र श्यामनरायण निवासी पडेरूआ, अविनाश पुत्र विरेन्द्र निवासी चकजाफरी थाना मुहम्मदाबाद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

दिनांक 08.10.2019 को थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत मादीसिपाह में हुयी घटना से सम्बन्धित मु0अ0सं0 325/19 धारा 302,452 भादवि अभियोग के सफल अनावरण किये जाने के क्रम में आज दिनांक 15.10. 2019 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी के निदेशक श्री बृजेष भारती के नेतृत्व में एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना का डेमो (रिक्रिएशन) करते हुये नमूना/साक्ष्य संकलित किया गया। इस दौरान मृतका के मायका, ससुराल पक्ष व अन्य रिश्तेदार उपस्थित रहे।